न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांकः– २२/1२/2020

न.मु. 139 सन् 2019

1. भीखाराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
2. केसुराम पुत्र गीधाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)
4. उप पंजीयक महोदय, बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, व संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन, राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति कर हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम कुमार पंवार प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से...
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 02
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 3 वा 4

– : निर्णय :–

दिनांकः–२२/12/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 453/390 तादादी 3.2248 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा [illegible] केसुराम पुत्र गीधाराम कौम मेघवाल साकीन ग्राम राजेडू तहसील श्री डूंगरग[illegible] के न[illegible]/3 हिस्सा, भीखाराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम [illegible] मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खा[illegible] दर्ज स्थित है। उपरोक्त खेत संयुक्त खातेदारी का अवि[illegible]जित खेत है। जिनका विधि[illegible]से विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

नही हुआ है। उक्त खसरा भूमिखेत पूर्व में नत्थू वल्द पीथा के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज में स्थित चला आ रहा था। जिसका पुराना खसरा संख्या 228 तादादी 33 बीघा 19 बिश्वा है। प्रतिवादी संख्या 02 केसुराम ने उक्त नत्थू से उक्त 1/4 हिस्सा खरीद किया था अन्य खातेदारों ने अपने उक्त खेत खसरा संख्या 228 का विभाजन उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ के आदेशानुसार करवाया। विभाजन से खेत खसरा संख्या 228 के दो टुकड़े खसरा संख्या 390/228 तादादी 16 बीघा 19 बीश्वा तथा खसरा संख्या 391/228 तादादी 17 बीघा हो गया। जिसमें खसरा संख्या 390/228 का आगे चलकर खाता संख्या 453/390 हुवा जिसमें केसुराम का नाम भीखाराम वा मांगीलाल के साथ 1/3 हिस्सा गलत रुप से दर्ज हो गया जबकि उक्त केसुराम का नाम खसरा संख्या 391/228 तादादी 17 बीघा में दर्ज है। केसुराम का खेत खसरा संख्या 453/390 तादादी 3.2248 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा में 1/3 हिस्सा गलत दर्ज हो गया जबकि उक्त खसरें में सिर्फ भीखाराम वा मांगीलाल का 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना था लेकिन सरकारी कर्मचारीयों की गफलत वा लापरवाही के कारण केसुराम का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। वादगत खेत पर भीखाराम वा मांगीलाल ही काश्त करते चले आ थे और उक्त खेत पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादी को अपने हिस्सा भूमि में भूमि सुधार करने व विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये सरकारी कार्यालयों में गये तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त खेत में केसुराम के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। जबकि उक्त खेत खसरा संख्या 453/390 तादादी 3.2248 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा में भीखाराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा के नाम 1/2 हिस्सा तथा मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था। वादी को उक्त जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27/11/2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाने पर हुई। तथा उसके पश्चात प्रतिवादीगण को उक्त गलत रिकार्ड चले आ रहे के बारे में जानकारी दी तो उन्होने कहा कि तहसील में जाकर ठीक करवा देंगे। लेकिन प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते हुए टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10/11/2019 को वादगत खेत की खातेदारी में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से साफ इन्कार हो गये। इसलिये वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय हाजा में दावा प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित करवायें। दिनांक 10/11/2019 को प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने से वाद हैतुक उत्पन्न हुआ तथा वादगत भूमि वादी के खातेदारी दर्ज करने का वादाधार प्राप्त है। आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 4 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट गौतम कुमार पंवार ने वकालत नामा पेश किया, वादी वा प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

[illegible] साक्ष्य वादी हेतु कायम की गई वादी भीखाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावे[illegible] जमाबन्दी प्रदर्श पी. 1से 3 व 11 12 , नामान्तर प्रदर्श पी. 4 [illegible] पी. 17 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:16:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जरिये **राजीनामा के आधार पर** दावा वादी का डिक्री किया जावे तथा घोषित किया [illegible] कि खेत खसरा नं. 453/390 तादादी 3.2248

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें भीखाराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा का 1/2 हिस्सा तथा मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा का 1/2 हिस्सा बनता है। उपरोक्त खेत भूमि को राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कर खाता विभाजन कर वादी, का हक हिस्सा अलग कर अलग अलग खाता कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 453/390 तादादी 3.2248 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादीगण के हक व हिस्से की भूमि मे से बेदखल ना करे विक्रय हस्तान्तरण ना करे ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करे ना ही रहन अडाण गिरवी रखे ना ही कुआं खुदवाये ना ही किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य आदि आदि करे ना ही वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी स्वयं पैदा करे या अन्य से करायें व ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

— : आदेश : —

वादी का वाद राजीनामा के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि जरिये **राजीनामा के आधार पर** दावा वादी का इस प्रकार डिक्री किया जाता है खेत खसरा नं. 453/390 तादादी 3.2248 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें भीखाराम पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा का 1/2 हिस्सा तथा मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा का 1/2 हिस्सा बनता है। उपरोक्त खेत भूमि को राजस्व रिकार्ड मे संशोधन कर खाता विभाजन कर वादी, का हक हिस्सा अलग कर अलग अलग खाता कायम किया जावें। तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाकर वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी सं. 03 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 3 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/12/2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner